पंजीकृत

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 1362 / 12-1-(2). दिनांक 22/10 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय– **जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/149024/2021**

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–32 / FP/UK/ROAD/149024/2021 दिनांक 02.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक–3741 / 16सी0 दिनांक 13.10.2022 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–। के Additional information detail के क्र0सं0–35 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची पार्ट–। एवं पार्ट–।। के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची पार्ट–। एवं पार्ट–।। के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
4	प्रस्ताव में एन.पी.वी. आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करें।	प्रस्ताव में एन.पी.वी. आंकलन नई दरों (दिनांक 06.01.2022) के अनुसार आंकलित कर पार्ट–। एवं पार्ट–।। के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
5	प्रस्ताव के प्रपत्र–12 में परियोजना की लम्बाई एवं चौडाई के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं।	प्रस्ताव के प्रपत्र–12 में परियोजना की लम्बाई एवं चौडाई के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त पार्ट–। एवं पार्ट–।। के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
6	परियोजना के वन अधिकार अधिनियम, के अन्तर्गत ग्राम वासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। कृपया उक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	परियोजना के वन अधिकार अधिनियम, के अन्तर्गत ग्राम वासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर पार्ट–। additional information detail में ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
7	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेडों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर में अलग–अलग करते हुए हुए कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेडों की गणना विभाग के मानकानुसार 7 मीटर में करते हुए हुए कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची पार्ट–। एवं पार्ट–।। के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।

क्रमशः–2 पर

8	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची पार्ट–I एवं पार्ट–II के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
9	प्रस्ताव में ऑनलाईन भरे गये पैरा–E में परियोजना निर्माण से 350 नग सृजित होना अंकित किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या परियोजना निर्माण से वास्तविक रूप से 350 पदों का सृजन हो रहा है अथवा नहीं, उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में ऑनलाइन पैरा–E को सही कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों के पातन के प्रमाण पत्र में प्रभावित वृक्षों की संख्या 67 अंकित की गयी है, जबकि प्रस्ताव में ऑनलाइन भरे गये पार्ट–II के पैरा–4(ii) में प्रभावित वृक्षों की संख्या–44 अपलोड की गयी है। कृपया वास्तविक रूप से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूचना प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों के पातन के प्रमाण पत्र में कुल प्रभावित वृक्षों (44 वृक्ष वन भूमि एवं 23 वृक्ष नाप भूमि) की संख्या 67 अंकित की गयी है, जबकि प्रस्ताव में ऑनलाइन भरे गये पार्ट–II के पैरा–4(ii) में वन भूमि में प्रभावित कुल 44 वृक्षों की संख्या अंकित की गयी है तथा नाप भूमि में प्रभावित वृक्ष परिवेश पोर्टल पर अंकित नहीं किये गये हैं। अतः वास्तविक रुप से प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रमाण पत्र पार्ट–I एवं पार्ट–II के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर किया गया है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित 04 प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या – 1362 **/दिनांकित।**
प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।